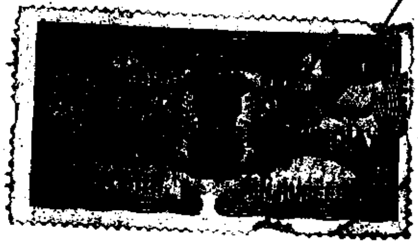

न्यायालय समआदरणीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

केम्प उज्जैन

Regd 2820-I/13

प्र.क्र.

श्यामलाल पिता कानाजी आदि ....आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गरोठ ......अनावेदक

नैनसिंह पिता सरदारसिंह –प्रस्तावित आवेदक

C. H. Shukla Adv

Restoration of Application

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) भू राजस्व संहिता सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

24-6-13

मान्नीय महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में आवेदक नैनसिंह पिता सरदारसिंह की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है –

1. यह कि, उपरोक्त वर्णित प्रकरण में आवेदक नैनसिंह की ओर से श्रीमान के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 10.05.2012 को प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन रहा है तथा उक्त प्रकरण में उभयपक्षों को सूचना पत्र जारी किये जाने हेतु प्रकरण में प्रोसेडिंग होते रहे हैं।

2. यह कि, प्रकरण में तारीख पेशियां चल रही थीं, किन्तु बीच की अवधि ा में दो–तीन पेशी पर उज्जैन केम्प के समय आवेदक की प्रकरण पत्रिका केम्प में नहीं लाई जा सकी तथा संबंधित बाबू द्वारा प्रार्थी एवं उसके अभिभाषक के हस्ताक्षर नई ऑर्डर शीट कायम करके लिये गये और दो–तीन पेशी इसी प्रकार नई ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर लेते हुए चलती रहीं किन्तु प्रकरण में उभयपक्षों को सूचना पत्र जारी नहीं हुए।

3. यह कि, आवेदक ने जो आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पत्र जो प्रकरण में प्रस्तुत किया था उसका प्रकरण क्रमांक 1878 फोर्थ/2002 निगरानी में प्रस्तुत किया गया था।

4. यह कि, आवेदक दिनांक 31.05.2013 को शहर ग्वालिर में उपस्थित हुआ और उसके द्वारा प्रकरण की माहिती निकलवाई गई तो आवेदक को ज्ञात हुआ कि प्रकरण क्रमांक 1878 फोर्थ/02निगरानी दिनांक 20.02.2013 को निरस्त कर दी गई है तथा आवेदक द्वारा दिनांक 31.05.2013 को ही उक्त आदेश की नकल प्राप्त की गई तथा आदेश की नकल प्राप्त होने और आवेदक को प्रथम बार जानकारी दिनांक 31.05.2013 को होने से आवेदक की ओर से

Resto 2620-I/13

30.8.2017 [illegible]	आवेदक आपत्तिकर्ता की ओर से उपस्थित हुआ है। अत: उनके प्रार्थना पत्र पर प्रकरण पुनर्स्थापित करना औचित्यहीन होने से पुनर्स्थापन आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। [signature] अध्यक्ष

क्र. ना.